

राजस्थान सरकार


कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक : एफ 1 () पालेसी/निकाशि/नि.स./13/511

दिनांक : 20.9.13

कार्यालय आदेश


दिनांक 15.2.12 को अनुदानित महाविद्यालयों का अनुदान राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है, अतः अब इस निदेशालय से किसी प्रकार का अनुदान निजी संस्थाओं को नहीं दिया जा रहा है । इसी क्रम में संयुक्त निदेशक (अनुदान) का पदनाम संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) किया जाता है ।


निदेशक

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त जिला कलेक्टर ।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
7. समस्त संयुक्त निदेशक/ उपविधि परामर्शी/ मुख्य लेखाधिकारी ।
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षी को प्रेषित कर लेख है कि बेवसाईट पर अपलोड करें ।
10. रक्षित पत्रावली ।



अतिरिक्त निदेशक

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।